न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 03/2022
अनवान : –

1. संतोष पुत्री चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड न0 18 भादरा तहसील भादरा।

अपीलांट

बनाम्

1. ग्राम पंचायत करणपुरा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत करणपुरा त0 भादरा।

असल रेस्पॉडेन्ट

2. रतनी देवी पत्नी चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
3. भंवरलाल पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
4. प्रेम पुत्री चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
5. बुलबुल पुत्री चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
6. सुषमा पुत्री चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
7. ज्योति पत्नी स्व0 सुरेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
8. सोरभ पुत्र स्व0 सुरेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
9. गौरव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।
10. गरिमा पुत्री स्व0 सुरेन्द्र पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी वार्ड सं0 18 भादरा।

तरतीबी रेस्पॉडेन्टस

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री महेन्द्र जागिड़ प्रार्थी

निर्णय दिनांक: 31.7.23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं0 97/10 के खातेदार चम्पालाल के देहान्त के बाद उनके कानूनी वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरण सं0 446 सन 2011 में दर्ज हुआ है। जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होन पर भी नामान्तरण तस्दीक कर दिया जिसकी सूचना प्रार्थीया अपीलांट को नही थी। प्रार्थीया अपीलांट चम्पालाल की पुत्री होने से मुताबिक हिन्दू विधि के उनकी सम्पति की कानूनी वारिस है फिर भी नामान्तरण में प्रार्थीया अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करने की रेस्पॉडेन्टस सं0 1 ने कानूनी भूल की है। अतः नामान्तरण सं0 446 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया अपीलांट का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार नामान्तरण सं0 446 दिनांक 05.11.2011 विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीया अपीलांट उक्त नामान्तरण को खारिज करवा पाने व पुनः नामान्तरण खुलवाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेन्ट सं0 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। रजिस्ट्रर्ड डाक की रसीद पेश की गई। रेस्पॉडेन्ट सं0 1 उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पॉडेन्ट सं0 2 ता 10 तरतीबी पक्षकार होने के कारण वकील प्रार्थीया ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील प्रार्थीया अपीलांट सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में चम्पालाल के देहान्त के बाद उनके कानूनी वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरण सं0 446 सन 2011 में दर्ज हुआ है। जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होन पर भी नामान्तरण तस्दीक कर दिया जिसकी सूचना प्रार्थीया अपीलांट को नही थी। प्रार्थीया अपीलांट चम्पालाल की पुत्री होने से मुताबिक हिन्दू विधि के उनकी सम्पति की कूननी वारिस है फिर भी नामान्तरण में प्रार्थीया अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करने की सेस्पॉडेन्टस सं0 1 ने कानूनी भूल की है। अतः नामान्तरण सं0 446 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तथा अपीलांट को इसका पता चलते ही बिना किसी देरी के ही उक्त अपील न्यायालय में पेश कर दी है। अतः उक्त अपील को अन्दर मियाद मानते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अपीलांट वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर स्व0 चम्पालाल के जायज वारिसान की सूची में अपीलांट भी बतौर वारिस के रूप में अंकित है। जिसका नाम नामान्तरण सं0 446 दिनांक 05.11.2011 में तस्दीक करते समय दर्ज होने से रह गया है। वकील प्रार्थीया द्वारा पेश मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 7 बीएचडी के खाता सं0 97/10 में नामान्तरण सं0 446 दिनांक 05.11.2011 को अपास्त कर पुनः नामान्तरण रजिस्ट्रर खोलकर प्रार्थीया को सुना जाकर स्व0 चम्पालाल के वारिसान का विधि संवत नामान्तरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 31...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़